राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1292/2016..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स नवभारत ट्यूब्स लिमिटेड, 94डी, झोटवाड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–I, जयपुर (2) सहायक आयुक्त, विशेष वृत–षष्टम, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री मनोहर पुरी, सदस्य**	
22/06/2016	अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन क्रमांक एस–78/AA-I/P/16-17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 03.06.2016 के वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, विशेष वृत–षष्टम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 26 व 55 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.03.2015 से सृजित मांग की वसूली के स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में वसूलनीय राशि रूपये 4,72,151/– की वसूली को स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.01.2011 को पारित किया गया। उक्त आदेश के द्वारा कच्चे माल की खरीद के पेटे रूपये 82,25,614/– एवं केपिटल गुड्स के पेटे रूपये 2,56,604/– का आई.टी.सी. स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात यह पाये जाने पर कि व्यवहारी द्वारा आयरन एवं स्टील की खरीद को केपिटल गुड्स दर्शाते हुए आई.टी.सी. क्लेम किया गया, तो कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 26 व 55 के तहत आदेश दिनांक 23.03.2015 पारित करते हुए पूर्व में स्वीकृत आई.टी.सी. रूपये 2,56,604/– को रिवर्स करते हुए, तद्नुसार ब्याज रूपये 2,15,547/– सहित कुल रूपये 4,72,151/– की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश से सृजित मांग की वसूली के स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 03.06.2016 से अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 4,72,151/– की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1292/2016..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स नवभारत ट्यूब्स लिमिटेड, 94डी, झोटवाड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–I, जयपुर (2) सहायक आयुक्त, विशेष वृत–षष्टम, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/06/2016	अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री एस. एन. असावा ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा क्रय किया गया आयरन एवं स्टील का उपयोग केपिटल गुड्स के रूप में ही किया गया है। क्रीत आयरन एवं स्टील से चिमनी एवं रेलवे लाईन का निर्माण किया गया है, जिससे कच्चा/निर्मित माल परिवहन का काम किया जाता है। इस प्रकार क्रीत माल केपिटल गुड्स की श्रेणी में आने से वेट अधिनियम की धारा 18(1)(जी) के तहत आई.टी.सी. अनुज्ञेय है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि आई.टी.सी. की देयता वेट अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानानुसार ही होती है। अपीलार्थी द्वारा क्रीत माल केपिटल गुड्स की श्रेणी में नहीं आने के कारण आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं है। वेट अधिनियम की धारा 18 निम्नानुसार है :– **18. Input Tax Credit.** – (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub–section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of – (a) sale within the State of Rajasthan; or (b) sale in the course of inter–State trade and commerce; or (c) sale in the course of export outside the territory of India; or (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or (e) being used as raw material, except those as may be notified by the State Government, in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter–State trade or commerce; or (f) being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or लगातार.....3	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1292/2016..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स नवभारत ट्यूब्स लिमिटेड, 94डी, झोटवाड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–I, जयपुर (2) सहायक आयुक्त, विशेष वृत–षष्टम, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/06/2016	(f) being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub–section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub–section. (2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed. (3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases – (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub–section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or (ii) of goods made in the course of import from outside the State; or (iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or (iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or (v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction , on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner. लगातार.....4	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1292/2016..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स नवभारत ट्यूब्स लिमिटेड, 94डी, झोटवाड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–I, जयपुर (2) सहायक आयुक्त, विशेष वृत–षष्टम, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 4 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/06/2016	विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 484/2016/जयपुर **मैसर्स एसोसियेटेड सोप स्टोन डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी प्रा0 लिमिटेड, जयपुर बनाम (1) अपीलीय प्राधिकारी–I, जयपुर (2) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राज.– I, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 03.03.2016** का हवाला देते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में भी स्टील एवं आयरन की खरीद पर चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं माना गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ अधिकारियों के निर्णयों तथा विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। विधिक प्रावधान एवं माननीय न्यायालयों द्वारा दी गयी व्यवस्था के आलोक में हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, लेथ मशीन पर चुकाये गये वैट के पेटे क्लेम किये गये आई.टी.सी. की सीमा तक सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। जबकि अन्य क्रीत आयरन व स्टील के पेटे रिवर्स टैक्स व ब्याज के बिन्दु पर सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। लेथ मशीन पर चुकाये गये वैट के पेटे स्वीकृत आई.टी.सी. की सीमा तक आरोपित रिवर्स टैक्स व ब्याज लगभग रूपये 45,000/– (रूपये पैंतालिस हजार मात्र) की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में सक्षम अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। शेष राशि (रिवर्स टैक्स व ब्याज) वसूलनीय होगी। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 22/06/2016 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	